नए अध्ययन-केंद्रों की स्थापना एवं मान्यता नियम

(विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 26 / 2004 की कंडिका 5 (9), विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 02 की कंडिका 9 (4) एवम् परिनियम क्रमांक 03 (A) की कंडिका 31 के अनुसार)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष 07752-210109, 210312 फैक्स 07752-213073

Website : www.pssou.ac.in, Email - registrar@pssou.ac.in

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

प. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी–बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक :- (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्रं 326/RSD/17

बिलासपुर, दिनांक 24/01/2017

प्रति,

प्राचार्य

....

....

....

विषय : विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का संचालन आपके महाविद्यालय में किये जाने बाबत्।

जैसा कि विदित है कि पूरे प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ संकल्पित है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि हमारे सभी अध्ययन–केंद्र ऐसे शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित किए जाए, जो छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित " अध्ययन केन्द्रों को मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम" की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तद्नुसार प्रवेशित विद्यार्थी के आधार पर महाविद्यालय को केंद्र संचालित करने हेतु पोषण राशि प्रदान किया जायेगा। इससे महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के शासन के उददेश्य की पूर्ति तो होगी ही, महाविद्यालय को भी कुछ अतिरिक्त राशि की प्राप्ति हो सकेगी। इसमें महाविद्यालय को अतिरिक्त रूप से संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय में ड्यूअल मोड में जनवरी एवं जुलाई में प्रवेश कार्य शुरु होता है।

आपका महाविद्यालय उक्त नियम के अनुसार अध्ययन–केंद्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारुप में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। नियम एवं अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

संलग्न– नियम की प्रति।

RkSachdev

(डॉ. राजकुमार सचदेव)

कुलसचिव

क्रं. ..../RSD/17

प्रतिलिपि–

बिलासपुर, दिनांक 24/01/2017

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
3. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Keshav Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

नए अध्ययन-केंद्रों की स्थापना एवं मान्यता नियम

(विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 26 / 2004 की कंडिका 5 (9), विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 02 की कंडिका 9 (4) एवम् परिनियम क्रमांक 03 (A) की कंडिका 31 के अनुसार)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष 07752-210109, 210312 फैक्स 07752-213073

Website : www.pssou.ac.in, Email - registrar@pssou.ac.in

VERIFIED

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria ...
PSSOU, CG Bilaspur

(3)

अध्ययन केंद्रों की चयन-प्रक्रिया

1. विश्वविद्यालय की वेबसाइट / समाचार-पत्रों में विज्ञापन
2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा करें या सीधे कुलसचिव के पास आवेदन-पत्र भेजें।
3. माननीय कुलपति महोदय द्वारा जाँच समिति का गठन
4. निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित अध्ययन केंद्र का जाँच प्रतिवेदन कुलसचिव के पास जमा करना
5. मान्यता समिति की अनुशंसा पर कुलपति / कार्यपरिषद् से अनुमोदन पश्चात् कुलसचिव द्वारा अनुमोदन-पत्र प्रस्तावित अध्ययन-केंद्र को भेजना
6. प्रस्तावित अध्ययन-केंद्र और पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के बीच अनुबंध (MOU) होना
7. अध्ययन-केंद्रों के समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम
8. **अध्ययन-केंद्र को पोषण राशि आबंटन**

	प्रथम किश्त प्रवेश के पश्चात्	द्वितीय किश्त संत्रात परीक्षा के पश्चात् नियमानुसार सभी प्रक्रिया मापदंड अनुसार पूर्ण कर लेखा प्रस्तुत करने के पश्चात्
सामान्य पाठ्यक्रम	आँकलित पोषण राशि का 50%	आँकलित पोषण राशि का अधिकतम 50% तक

VERIFIED

Shri Reshum Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-...
PSSOU, CG Bilaspur

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

(4)

अध्ययन-केंद्रों की स्थापना एवं मान्यता के लिए दिशा निर्देश

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत :

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का सिद्धांत नियमित शिक्षा के उस रुप से अलग है जिसमें विद्यार्थी नियमित संपर्क कक्षाओं में भाग ले पाते हैं। दूरस्थ शिक्षा का लक्ष्य वे विद्यार्थी जिन्हें किसी कारणवश नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने का अवसर नहीं मिल सका है उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। दूरस्थ शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में संपर्क कक्षाएँ / परामर्श सत्र और लगातार सीखने के लिए प्रेरित करते रहना है। विद्यार्थी इन संपर्क कक्षाओं / परामर्श सत्रों से लगातार जुड़े रहने और सलाहकारों की सहायता से कार्य सीखने में और अपनी खामियों को दूर करने में अपने आप को सक्षम पाता हैं और उन्हें एक नई दिशा मिलती है। इसलिए जो संस्थान पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का अध्ययन-केंद्र खोलने जा रहा है उसे संपर्क कक्षाएँ / परामर्श सत्र व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सत्रीय कार्य का ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अंतर्गत इच्छुक संस्थान पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के स्नातक एवं स्नातकोत्तर, डिप्लोमा / डिग्री, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करेगा वहाँ विश्वविद्यालय अपना अध्ययन-केंद्र स्थापित करेगा। अध्ययन-केंद्र चार तरह के होंगे-

(अ) मॉडल अध्ययन-केंद्र (पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय अध्ययन-केंद्र में विकसित करेगा)

(ब) सामान्य अध्ययन-केंद्र

(स) पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन-केंद्र, और

(द) विशेष अध्ययन-केंद्र

मॉडल अध्ययन-केंद्र पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय अध्ययन-केंद्र में विकसित किया जाएगा। जबकि सामान्य अध्ययन-केंद्र विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) की पेशकश करेगा। पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन-केंद्र अनुबंध के रूप में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा, और विशेष अध्ययन-केंद्र विश्वविद्यालय आवश्यकता के अनुसार खोलेगा।

अध्ययन-केंद्र कैसे खोलें ?

विश्वविद्यालय अध्ययन-केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। विश्वविद्यालय की बेवसाइट और समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा सकता है। जहाँ एक निर्धारित प्रारुप में आवेदकों द्वारा आवेदन भरना होगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं?

छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कोई भी शासकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त / स्व-वित्तपोषित निजी महाविद्यालय / संस्थान जहाँ आधारभूत ढाँचा, सक्षम सलाहकार, अध्ययन-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि हो, आवेदन कर सकते हैं। अध्ययन-केंद्र को उन्हीं विषयों / पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता दी जायेगी जिनके लिए उन्हें अपने मूल विश्वविद्यालय से सबद्धता प्राप्त है।

अध्ययन-केंद्र स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक मानदंड

विभिन्न अध्ययन-केंद्रों के लिए मुख्य आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं :

सभी अध्ययन-केंद्रों में आधारभूत ढाँचा के अंतर्गत बुनियादी सुविधायुक्त उचित आकार के अध्ययन-कक्ष, पुस्तकालय की सुविधा, कम्प्यूटर की सुविधा, इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन, अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हो। ताकि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्देश दिए जा सकें। केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं के साथ स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण शैक्षिक वातावरण हो। अध्ययन-केंद्रों को जिन मुख्य बातों से सुनिश्चित होना चाहिए वे हैं-

1. प्रबंधन और कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन-केंद्र : इस अध्ययन-केंद्र में इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन के

VERIFIED
Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

(5)

साथ पर्याप्त संख्या में अच्छे अध्यापक और सहायक कर्मचारी सहित 10-15 पीसी के साथ कम्प्यूटर प्रयोगशाला।

2. विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन-केंद्र : इस अध्ययन-केंद्र में स्नातक / स्नातकोत्तर विज्ञान प्रयोगशाला, इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन, पर्याप्त संख्या में अच्छे अध्यापक और सहायक कर्मचारी।

3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन-केंद्र : इस अध्ययन-केंद्र के लिए आवश्वयक उपकरण और सुविधाएँ जैसे कि डी.डी.सी., सी.सी., अनुक्रम-सूची, वर्गीकृत-सूची ए.ए.सी.आर-2, संदर्भ स्रोत युक्त पुस्तकालय आदि। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रशिक्षक तथा सहायक कर्मचारी।

4. योग और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन-केंद्र : इस अध्ययन-केंद्र के लिए आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं सहित योग और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रशिक्षक तथा सहायक कर्मचारी।

5. विशेष पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन-केंद्रः इस अध्ययन-केंद्र हेतु आवश्यक उपकरणों और सुविधाएँ, शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षक और सहायक कर्मचारी।

अध्ययन-केंद्र महाविद्यालय अपने सभी संसाधन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेशित विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगा।

अध्ययन-केंद्र की स्थापना के लिए स्थान मानदंडों का वर्गीकरण :

संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन-केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से मोटे रुप में अध्ययन-केंद्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- शहरी, कस्बा और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र। शहरी-श्रेणी में जिला मुख्यालय, कस्बा-श्रेणी में तहसील, विकासखंड स्तर, और ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्र में ग्राम-पंचायत हैं। अध्ययन-केंद्रों की स्थापना हेतु उपरोक्त वर्गीकरण न्यूनतम आवश्यक आधारभूत ढाँचा, निर्माण-क्षेत्र, और छात्रों की संख्या के आधार पर लागू होगा:

सामान्य अध्ययन-केंद्रों के लिए संबद्धता मानदंड हैं -

क्र.	क्षेत्र	छात्रों की न्यूनतम संख्या
01	शहरी	50
02	कस्बा	35
03	ग्रामीण-आदिवासी	30

विशेष अध्ययन-केंद्र के लिए क्षेत्रफल :

विशेष अध्ययन-केंद्रों के लिए मानदंडों का निर्णय पाठ्यक्रम की प्रकृति और क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए कुलपति महोदय के अनुमोदन से लिया जाएगा।

निरीक्षण और जाँच :

अ- शासकीय महाविद्यालयों के लिए : ऐसे शासकीय महाविद्यालय जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं और जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार चला रही है उनकी निरीक्षण की जरुरत नहीं। ऐसे शासकीय महाविद्यालयों को आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी।

ब- अशासकीय महाविद्यालयों / संस्थानों के लिए : ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं इनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों में से पात्र मामलों को शार्ट लिस्ट कर, संबंधित महाविद्यालयों / संस्थानों के लिए माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जाँच निरीक्षण समिति जिन्होंने अध्ययन-केंद्र खोलने हेतु आवेदन किया है उनका निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में अपना सील बंद प्रतिवेदन कुलसचिव को देगी। सामान्यतः विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन-केंद्र की स्थापना एवं संचालन की अनुमति का आधार निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्भर है।

ऐसे सभी आवेदनों पर विचार, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर; जिसमें समस्त सुविधाओं के बारे में विवरण शामिल किया जाएगा की पुष्टि के आधार पर स्थापना एवं संचालन केंद्र की अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय आवश्यकतानुसार योग्य शिक्षक, बुनियादी सुविधाएँ, मशीनरी, कम्प्यूटर की

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा आदि को ध्यान में रखा जावेगा, इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़े क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा। लेकिन ऐसे संबंधित महाविद्यालय / संस्थान जिन्होंने आवेदन किया है निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयुक्त पाया गया केवल इसके आधार पर केंद्र खोलने का दावा नहीं कर सकेंगें।

अध्ययन-केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुबंध (एमओयू) :

जब आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा सिफारिश की जाय तथा मान्यता समिति अनुशंसा करें और कुलपति जी द्वारा अनुमोदन हो जाए तब संबंधित आवेदक को रु. 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial) पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, एवं समझौते के अनुरुप नियम और शर्तों का पालन करना होगा। समझौते में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो अनुबंध (एमओयू) का हिस्सा बनेंगे। प्राथमिक रुप से अनुबंध पत्र एक वर्ष के लिए किया जायेगा, परन्तु संतुष्टि के आधार पर मान्यता समिति की अनुशंसानुसार अवधि को एक-एक अकादमिक वर्ष के लिये पुनः बढ़ाया जा सकता है। यह भी कि पोषण राशि की गणना में इस नियम के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए 50 प्रतिशत पाठयक्रम शुल्क को गणना में लिया जायेगा। परन्तु एक वर्ष पश्चात् पुनः समीक्षा की जायेगी तथा केन्द्र पर इस व्यय के आधार पर इस राशि की पुनः गणना का अनुबंध तैयार किया जायेगा।

मानदंडों को बनाए रखना :

अध्ययन-केंद्र हर मामलों में निर्धारित मानकों को बनाए रखेगा, और अध्ययन के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सुविधाएँ, प्रयोगशाला संचालन, परामर्श सत्र, परियोजना कार्य की व्यवस्था इत्यादि सहित छात्रों को आवश्यक अध्ययन सुविधाएँ प्रदान करेगा।

अध्ययन-सामग्री की वितरण-व्यवस्था :

प्रत्येक छात्र को अध्ययन-सामग्री वितरित करना बहुत बड़ा कार्य है। पंजीकृत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की गई अध्ययन-सामग्री का समय पर वितरण-व्यवस्था अध्ययन-केंद्रों को करनी होगी। अध्ययन-सामग्री की कुशल वितरण-प्रणाली विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेश के अनुरुप निर्धारित प्रारुप में छात्रों का उचित व्यौरा भेजना होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता सुनिश्चित करना :

चूंकि अधिकतर नौकरियों का स्वरूप कम्प्यूटरीकृत हो रहा है, और विश्वविद्यालय संचार प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के माध्यम से दस्तावेज इत्यादि कम्प्यूटरीकृत कर रहा है। यह आवश्यक है कि अध्ययन-केंद्रों में आवश्यक संचार प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढाँचे संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रदान करने के सक्षम हो। इस दिशा में पहला कदम निर्धारित प्रारुप में छात्रों का डेटा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रवेश (Enter) किया जाएगा। इसी तरह अन्य लेनदेन प्राथमिक तौर पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के उपयोग के मामले में आवेदक केंद्र उपलब्ध कराएगा।

समन्वयकों, सहायक समन्वयकों और अन्य कर्मचारियों का मानदेय एवं अन्य व्ययों का भुगतान :

अध्ययन-केंद्र को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रदान की गई पोषण राशि से मानदेय भुगतान करना होगा। अन्य व्यय भी पोषण राशि से किए जा सकेगें। कुछ मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा तय दरें एक ही हैं जैसे व्यावहारिक परामर्श सत्र, मूल्यांकन कार्य आदि की दरें विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई हैं, केंद्र को इसी का पालन करना होगा। केंद्र इन आवश्यक कार्यों, परामर्श व्यवस्था हेतु विफल रहता है और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर, ये कार्य, परामर्श सत्र की व्यवस्था बाहर से करने का फैसला करता है तो विश्वविद्यालय परामर्श के लिए व्यय किए गए राशि घटाकर केंद्र को पोषण राशि देगा।

अध्ययन-केंद्र के पोषण राशि की गणना :

विश्वविद्यालय के अनुबंध से सहमत अध्ययन-केंद्र के लिए निम्नानुसार पोषण राशि की गणना की जाएगी -

पाठ्यक्रम शुल्क के आधार पर पोषण राशि की गणना -

क्र.	विश्वविद्यालय स्थापना / व्यवस्थापन, अध्ययन-केंद्र की पोषण राशि	राशि
1	विश्वविद्यालय स्थापना / व्यवस्थापन कुल एकत्रित पाठ्यक्रम शुल्क का	50%
2	अध्ययन-केंद्र की पोषण राशि	50%

VERIFIED

Shri Kesham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

(7)

पोषण राशि की गणना-वर्तमान दर पर एक उदाहरण

क्र.	पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों की संख्या	पाठ्यक्रम शुल्क का 50% राशि	पोषण राशि (रु.)
1.	B.A.	10	1850 X ½ = 925	10 X 925 = 9250
2.	B.Sc.	10	2800 X ½ = 1400	10 X1400 = 14000
3.	PGDCA	10	6250 X ½ = 3125	10 X 3125 = 31250

पोषण राशि का व्यय :

1. अध्ययन-केंद्र हेतु पोषण राशि : (व्यय पर आधारित)

(1) समन्वयक, सहायक समन्वयक, वर्ग-3 एवं 4 के मानसेवी कर्मचारी, मजदूर इत्यादि के मानदेय एवं मजदूरी। (विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार)

(2) (क) परामर्श / संपर्क कक्षाओं का आयोजन : विश्वविद्यालय के मानक के अनुरुप।

(ख) मान्य आधारभूत ढाँचागत व्यय : बिजली, पानी की व्यवस्था, भवन / फर्नीचर का किराया, प्रयोगशाला / कक्ष / कम्प्यूटर इत्यादि के लिए किया गया व्यय।

(ग) अन्य व्यय, सत्रीय कार्य का मूल्यांकन व्यय। (विश्वविद्यालय के नियमानुसार के अनुसार)

अध्ययन-केंद्र / महाविद्यालय प्राप्त पोषण राशि से उपरोक्त सभी व्यवस्था करेगा। अध्ययन-केंद्र इस कार्य हेतु विश्वद्यिालय के अनुमोदन पश्चात् मानक बना सकेगा। परंतु जहाँ विश्वविद्यालय का व्यय मानक है वहाँ व्यय मानक ही लागू होगा। वास्तविक व्यय या आंकलित व्यय में जो कम होगा, वह देय होगा।

अध्ययन-केंद्र के बंद होने, विलय होने अथवा अनुचित परामर्श के मामले में विश्वविद्यालय को इस राशि को घटा अथवा जब्त करने का अधिकार होगा।

केंद्र को जारी रखना :

केंद्र को जारी रखने के लिए अनुबंध में किए गए सभी मानदंडों, नियम और शर्तों का परीक्षण करने पर होगा। इस मामले में केंद्र बुनियादी ढाँचे और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहता है तो इस तरह के अध्ययन-केंद्र को विश्वविद्यालय बंद करने पर विचार कर सकता है। अध्ययन-केंद्र को बंद करने का एक और आधार हो सकता है- छात्रों की अपेक्षित संख्या न होना, परामर्श सत्र का न लगना, अनुबंध के अनुरुप विश्वविद्यालय के नियमों, शर्तो, निर्देशों का पालन न करना। केन्द्र को जारी रखनें हेतु मान्यता समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।

निरीक्षण का अधिकार :

विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एक उपयुक्त व्यक्ति या समिति के माध्यम से किसी भी निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। अध्ययन-केंद्र का दायित्व होगा कि वह ऐसे किसी भी निरीक्षण की अनुमति देगा।

छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क :

विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित शुल्क सीधे विश्वविद्यालय के खाते में नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। अध्ययन-केंद्र उसमें सहायता देगें। अध्ययन-केंद्रों की जिम्मेदारी होगी कि विद्यार्थी सभी निर्धारित शुल्क जमा करें।

(क) विवरणिका आवेदन-पत्र शुल्क

(ख) प्रवेश परीक्षा शुल्क, यदि कोई हो

(ग) पाठ्यक्रम शुल्क,

(घ) SLM विकास एवं वितरण शुल्क

(ङ.) परीक्षा शुल्क, और

(च) अन्य विशेष शुल्क, यदि काई हो।

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Keshav Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर शुल्क की राशि निर्धारित की जाएगी। छात्र से केंद्र द्वारा किसी भी तरह की अतिरिक्त शुल्क की माँग किए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त आधार होगा। उपरोक्त में से केवल एकत्रित पाठ्यक्रम शुल्क के आधार पर ही अध्ययन-केंद्र के पोषण राशि की गणना की जाएगी।

प्रवेश हेतु विज्ञापन :

सामान्य रुप से प्रवेश के लिए विज्ञापन विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाएँगे। हालांकि अध्ययन-केंद्र अपने खर्च पर प्रवेश हेतु संभावित उम्मीदवारों / फर्मो को आमंत्रित कर सकता है। यद्यपि इस तरह की विज्ञापन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय और अध्ययन-केंद्र के बीच अनुबंध के अनुसार तक नियम और शर्तो के अनुसार विज्ञापन साझा कर सकते हैं।

''मान्यता समिति'' का गठन निम्नानुसार किया जायेगा -

1 क्षेत्रीय निदेशक - पदेन सदस्य

2 संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक - पदेन सदस्य

3 कुलपति जी द्वारा नामित भारत के मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक क्षेत्रीय निदेशक / आचार्य / सह-आचार्य - सदस्य

4 कुलसचिव - पदेन सचिव।

मान्यता समिति न्यूनतम तीन सदस्यीय होगा एवम् समिति का अध्यक्ष कुलपति जी द्वारा नामित होगा।

''निरीक्षण समिति'' का गठन निम्नानुसार किया जायेगा -

1 निरीक्षण समिति का संयोजक कुलपति जी द्वारा नामित।

2 संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक / क्षेत्रीय सेवा प्रभाग का क्षेत्रीय निदेशक / सहायक निदेशक

अन्य शर्ते जिन्हें अध्ययन-केंद्र को पालन करना है :

उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अध्ययन-केंद्रों को करना होगा-

- अध्ययन-केंद्र को पाठ्यक्रम का प्रभावी वितरण सुनिश्चित तथा अध्यापन और परामर्श हेतु अनुभवी अध्यापकों का प्रबंधन करना।
- ढाँचागत सुविधाएँ एवं पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था।
- छात्रों के लिए पाठ्यक्रम अवधि पूरी होने तक सेवाएँ प्रदान करते रहना।
- यदि किसी भी पाठ्यक्रम को बीच में बंद किया जाता है तो पोषण राशि से अनुपातिक राशि वापस ली जाएगी।
- यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र उन्हीं छात्रों के स्वीकार किए हैं जिन छात्रों के पास आवश्यक योग्यता है और उसने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया है, और यह भी कि उसने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया है।
- प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र के आवेदन-पत्र के साथ उसकी पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
- यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में अध्यापक और अन्य कर्मचारी अर्थात् सलाहकारों, प्रयोगशाला सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध हैं।
- और यह भी सुनिश्चित करें कि सभी सलाहकार विधिवत योग्य हैं और उनको विश्वविद्यालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

VERIFIED

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

- प्रत्येक पाठ्यक्रम / शिक्षण कार्यक्रम / परामर्श सत्र की निर्धारित संख्या की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- परामर्श सत्र के संचालन के लिए एक रजिस्टर बनाना।
- विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानकों को पालन करते हुए समय पर सत्रीय कार्य (असाइनमेंट) जमा और मूल्यांकन करवाने में सहयोग देना। मूल्यांकन पारिश्रमिक विश्वविद्यालय के माध्यम से देय होगा।
- परामर्श कक्षाओं की तिथि पहले से सूचित करना।
- इसी तरह अन्य परामर्श जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन।
- पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के दौरान अध्ययन-केंद्र बंद होने के मामले में विश्वविद्यालय उपयुक्त जुर्माना या दंड लगा सकता है जो उस केंद्र के पंजीकृत छात्रों के हित रक्षा के लिए आवश्यक हो।
- अध्ययन-केंद्र की व्यवस्थापन राशि ढाँचागत सुविधाओं, अध्ययन-कक्ष, कम्प्यूटर लैब, प्रयोगशाला, परामर्श, सतत मूल्यांकन, पुस्तकालय, डाक आदि सेवाओं के लिए व्यय किया जा सकेगा।

अध्ययन-केंद्र पर समन्वयक का कार्य

अध्ययन-केंद्र में समन्वयक प्राचार्य होंगे, जो जिम्मेदार होंगे -

- केंद्र की सभी गतिविधियों, सलाहकारों, परामर्शदाताओं की व्यक्तिगत निगरानी करना;
- सभी शैक्षिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड तथा अध्ययन-केंद्र की विभिन्न गतिविधियों का विवरण रखना;
- कर्मचारियों के काम की निगरानी रखना;
- क्षेत्रीय केंद्र और विश्वविद्यालय से सभी सूचना संचार (कम्यूनिकेशन) करना;
- छात्रों को परामर्श सत्र की तिथि और समय की सूचना देना;
- जिन पाठ्यक्रमों में प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है उन मामलों में प्रयोगशाला कार्य की व्यवस्था करना;
- समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्ययन-केंद्र निर्धारित समय पर खुलता है;
- समन्वयक को यह भी सुनिश्चित करना होगा-
  - छात्र की उपस्थिति और सत्रीय कार्य (असाइमेंट) प्रस्तुत करना;
  - आवश्यक कम्प्यूटर, ऑडियो और वीडियो उपकरण संचालित अवस्था में उपलब्ध हैं यह सुनिश्चित करना;
  - छात्रों के लिए अध्ययन-सामग्री का वितरण;
  - विश्वविद्यालय को मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रेषित करना;
  - अध्ययन-केंद्र में परंपरा और अनुशासन का पालन;
  - इसी तरह विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सौपी गई जिम्मेदारी ।

विवाद की स्थिति :

अध्ययन केन्द्र की मान्यता एवं पोषण संबंधी नियम या अनुबंध से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में उसे माननीय कुलपति जी के समक्ष रखा जायेगा। उस विवाद पर कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों के लिए मान्य होगा।

❖❖❖❖❖

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur
Koni-Birkona Road, Bilaspur – 495009

FORMAT FOR APPLICATION FORM

Information of the College/Institute for the establishment of the Study Centre

Supporting documents must be attached as annexer.

Information Sheet

1) **College/ Institution: Profile**

i) Name of the college/ Institute with address :

ii) Date and Registration Number of the College/ Institute :

iii) Telephone No (s) :

iv) E-mail Address :

v) a. Name of the University to which the College/ Institute is affiliated

b. Affiliated since ....

vi) Name of the Principal/ Head :

vii) Educational Qualifications of the Principal/ Head :

viii) Telephone No. :

ix) E mail:

x) Whether the College/ Institution/ Trust/Society/Company is

(a) Private

(b) Government

xi) The College/ Institution has

(a) UG College (Arts/Science/Commerce/Engineering/Vocational)

(b) PG College (Arts/Science/Commerce/ Engineering/Vocational)

xii) Timing of the College/ Institution

xiii) List of Courses taught and teachers in College (please provide information in details)

VERIFIED

Shri [illegible] Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

2) **In case of Private College/ Institution**

i) Name of the Management/Society/Trust running the College/ Institution with Postal Address

ii) Date and Registration No. of the Institution:

iii) Name and Address of the Chairman with Phone Numbers:

iv) Name and Address of the Secretary with Phone Numbers:

v) Give in the Brief Information about the Activities of Institution, preferably the branches run by your Management (Attach a separate sheet if required and the Constitution of the Society/Trust/Management)

3) **Infrastructural Facilities Available**

i) Number of class rooms with their approximate seating capacity will be made available for Study Centre (Enclose a separate sheet if required)

Room No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Size(Sq. Feet)									
Seating capacity for classes									
Seating capacity for examination									

ii) Adequate number of class rooms shall be made available in the

(a) Evening Yes/No

(b) Saturday Yes/No

(c) Sunday Yes/No

iii) Size of room (in sq., ft.) required for the Coordinator and for the Office of the Study Centre.

iv) Whether Library facilities shall be made available to the students of PSSOU. Yes/No

v) Internet facility Available Yes/No

vi) Space available for fixing the signboard of PSSOU Study Centre Yes/No

vii) Electrical fluorescent tubes, fans etc. are fitted in the class rooms and in the office Yes/No

viii) Whether Bank facility is available on the campus or nearby area, within a distance of ....Kms Yes/No

ix) Post Office facility is available on the campus or near by area, within a distance of ....Kms Yes/No

x) Telephone facility will be made available for the Study Centre Staff Yes/No

xi) The College/ Institution has separate toilets for male and female students and these facilities shall be made available to Study Centre staff Yes/No

xii) Drinking water facilities are available on the campus Yes/No

4) **Equipments**

i) The College/Institution has a Public Address System Yes/No

ii) The College/Institution has a TV/VCR/CD-VCD Player Yes/No

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge ... Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur

iii) The College/Institution has a LCD Projector Yes/No

iv) The College/Institution has a Slide Projector Yes/No

v) The College/Institution has a Tape Recorder Yes/No

vi) The College/Institution has ....number of Computers Yes/No
(Please use a different sheet to describe the computer facilities available)

5) **Personnel**

i) Names of recommended three teachers along with their personal detail in the prescribed format, for appointment of the Coordinator on Honorarium Basis.

1.

2.

3.

ii) Names of recommended individuals along with their personal detail in the prescribed format for the appointment of the Academic Counsellors.

1.

2.

3.

iii) The Principal/ Head is willing to cooperate, participate and supervise the work of the Centre including examinations. Yes/No

iv) The Principal/ Head will make available the teaching staff to work as Counsellors and Co-coordinators and necessary staff for conduct of examination. Yes/No

v) The Principal/ Head will make available the non-teaching staff to accept the part-time work at Study Centre. Yes/No

vi) Any other information as considered useful and relevant. (use a separate sheet)

6) **Undertaking**

The Principal/Head/Coordinator and the College authorities do herby undertake to give all necessary cooperation for the efficient functioning of the Study Centre of Pt. Sundarlal Sharma Open University Chhattisgarh, Bilaspur if granted to the College/Institution. It is certified that the information supplied is true and correct to the best of my/our knowledge/belief.

Signature & Seal of the Principal/Head
Name ....

VERIFIED

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge IQAC Cell
PSSOU, CG Bilaspur

(13)

Annexure-I

Resolution of the Society/Trust

(To be submitted duly filled on letterhead of the Institution)

It is resolved unanimously in the meeting of the governing body of .... held on .... under the chairmanship of Shri .... that the Study Centre of the Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur be established in .... College/ Institute.

If the University permits the College/Institute to establish the centre, we undertake to provide all the necessary academic and infrastructural facilities and co-operate for the smooth and efficient functioning of the Study Centre. We shall abide by the rules and regulations of the Pt. Sundarlal Sharma Open University Chhattisgarh, Bilaspur prescribed and revised from time to time.

If the Study Centre closed down for any reason, equipments, furniture, books supplied by the University shall be returned to the University within the given period by the University.

We shall have no objection if the University ceases the services of Counsellors, Coordinator and office staff appointed at the Study Centre.

Proposed By ....

Seconded By ....

Seal of Institution

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria
PSSOU, CG Bilaspur

(14)

Annexure-II

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur

FORMAT FOR BIO-DATA OF ACADEMIC COORDINATOR

(Supporting Documents may be provided as Annexure)

NAME OF STUDY CENTRE : ....

....

1. NAME (IN BLOCK LETTERS) ....
   PAN ....
2. DESIGNATION : ....
3. ORGANIZATION/EMPLOYER : ....
4. TYPE OF APPOINTMENT: REGULAR/TEMPORARY/CONTRACTUAL/HIRED ....
   ....
5. ADDRESS (RESIDENCE) : ....
   ....
   PIN - .... Phone : .... Mobile : ....
   Fax :........................ Emai l:..
6. ADDRESS (OFFICE) : ....
   ....
   PIN - .... Phone : .... Mobile : ....
   Fax :........................ Emai l:..
7. DATE OF BIRTH : DD .... MM .... YY ....
8. PRESENT PAY SCALE : ....
   BASIC : ....
   GP/AGP : ....
   ALLOWANCES : ....
   TOTAL : ....
9. ACADEMIC QUALIFICATIONS :

EXAMINATION/ DEGREE	BOARD/UNIVERSITY	YEAR	SUBJECT(S)	DIVISION/ PERCENTAGE

VERIFIED

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur

10. EMPLOYMENT DETAILS:

DURATION (MONTH, YEAR) FROM TO	ORGANIZATION	DESIGNATION	NATURE OF JOB/ TYPE OF DUTIES

11. EXPERIENCE:

a) Total Teaching Experience at [UG/PG Level (in years)] ....

b) Details of teaching experience [During the last 5 years] ....

LEVEL OF TEACHING	SUBJECT	YEAR(S)
UG Level		
PG Level		
Research Guidance		
Any Other (please specify)		

c) Administrative/Supervisory experience: ....

....

d) Experience of work connected with distance education activities such as Counseling Assistant, Coordinator etc : ....

....

e) Research Experience, if any : ....

....

f) Publications of books, articles, research papers, if any: ....

....

g) Computer skills: ....

h) Any other relevant information:..........

....

SIGNATURE

Date : ....

Name of Coordinator ....

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Shri Resham Lal Pradhan
Incharge NAAC Criteria-VII
PSSOU, CG Bilaspur